

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:- F 7(1) Training/ICDS/16/

13750/
कार्यालय आदेश

जयपुर दिनांक

14-10-18

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 126061 दिनांक 26.09.2016 के द्वारा जारी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के पुनश्चर्या प्रशिक्षण आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्थान विद्यापीठ कुल हट्टूण्डी अजमेर (यूनिट तृतीय) के दिनांक 02.11.2016 से 19.11.2016 तक प्रस्तावित पुनश्चर्या प्रशिक्षण को निरस्त कर दिनांक 02.11.2016 से 03.12.2016 तक निम्नानुसार नवचयनित आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का कार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :-

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नामांकित नहीं किया जावे।
2. प्रशिक्षणार्थी कार्यकर्ताओं के साथ 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रु. 20/- आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रु. 150/- प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरुष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेगे।
3. आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही किया जावेगा।
4. आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के आवास एवं भोजन की व्यवस्था आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही उपलब्ध होगी।
5. सभी आंगनवाडी कार्यकर्ता अपना परिचय-पत्र/पहचान पत्र साथ लेकर जावें तथा प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होने पर उनको हटाने के लिये कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षण अवधि	जिले का नाम- नामांकन संख्या	कुल नामांकन संख्या
1.	राजस्थान विद्यापीठ कुल हट्टूण्डी अजमेर (यूनिट तृतीय)	02.11.2016 से 03.12.2016	अजमेर- 14 टोंक - 13 जयपुर - 08	35

10-10-18
उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- F 7(1) Training/ICDS/16/

137502-511

जयपुर दिनांक

14-10-18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्राचार्य, आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर, टोंक, जयपुर।
3. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अजमेर, टोंक, जयपुर।
4. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।
5. लेखा प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर

10-10-18
उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।